क्षतिपूर्ति कटौती योग्य होगी और खाते को पार्टियों के बीच समायोजित किया जाएगा।

इस प्रकार ऊपर जैसा कि संकेत दिया गया है अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थिगण को उत्तरदाताओं को अपील की लागत का भुगतान करना होगा।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

बाई आछूबा अमर सिंह

बनाम

श्री कालिदास हरनाथ ओझा और अन्य

(के. सुब्बा राव, रघुबर दयाल और जे. आर. मुधौलकर जे. जे.)

बॉम्बे किरायेदारी और लैंड्स एक्ट, 1948 (1948 का 67) एस. एस. 84, 84 ए-एस का दायरा। 84 ए-यदि संभावित-यदि निर्णय को प्रभावित करता है जहां हस्तांतरण को पहले ही अमान्य घोषित कर दिया गया है - एस के तहत आवेदन। 84 -अगर मकान मालिक द्वारा होना चाहिए।

अपीलार्थी गुजरात के एक गाँव में सर्वेक्षण संख्या 231 और 260 वाले खेतों का मालिक था। उत्तरदाता संख्या 1 कुछ समय के लिए उसकी संपत्ति का प्रबंधक था और उस पद पर रहते हुए, उसने उससे उन क्षेत्रों के संबंध में एक बिक्री विलेख प्राप्त किया। अपीलार्थी ने घोषणा के लिए मामलातदार को एक आवेदन दिया कि बिक्री अमान्य थी क्योंकि यह एस.एस. के उल्लंघन में थी। बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 63 और 64। कुछ ग्रामीणों ने धारा के तहत कलेक्टर को एक आवेदन भी दिया। 84 प्रत्यर्थी संख्या 01 के संक्षिप्त निष्कासन के लिए। इस आधार पर कि लेन.देन एस. एस. के प्रावधानों के उल्लंघन होने के कारण अमान्य था। अधिनियम की धारा 63 और 64 कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया कि अपीलार्थी द्वारा की गई बिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए और गाँव के अभिलेखों को तदनुसार सही किया जाना चाहिए। राजस्व न्यायाधिकरण ने संशोधन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसने मामले को कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर ने फिर से बिक्री को अमान्य घोषित कर दिया और उनके आदेश की राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

1956 में, 1948 के अधिनियम में संशोधन किया गया और 84 -ए जोड़ा गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 84-ए के तहत नई कार्यवाही शुरू की गई थी।और मामलतदार ने अपने पक्ष में भूमि के

हस्तांतरण को मान्य कर दिया। हालाँकि, उनके आदेशों को कलेक्टर ने दरिकनार कर दिया। उच्च न्यायालय में फिर से एक रिट याचिका दायर की गयी और इसे स्वीकार कर लिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एस 84- ए के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू किया गया। अपीलार्थी विशेष अनुमित से इस अदालत में आया था। अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित: (सुब्बा राव और मुधोलकर जे. जे., रघुबर दयाल जे., असहमति जताते हुए)

- (1) धारा 84 ए के प्रावधान इस अर्थ में संभावित हैं कि वे किसी भी घोषणा या निष्कर्ष निकालने पर रोक लगाते हैं कि हस्तांतरण लागू होने के बाद अमान्य है। यह उस निर्णय को प्रभावित नहीं करता है जिसमें स्थानांतरण को पहले ही अमान्य माना जा चुका है। वर्तमान मामले में, कलेक्टर ने बिक्री को अमान्य घोषणा कर दिया और राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा उसके आदेश की पुष्टि की गई थी उस आदेश के खिलाफ रिट याचिका अंततः खारिज कर दी गई। कलेक्टर का आदेश अंतिम हो जाने के कारण धारा को शामिल करने के बाद उस पर सवाल नहीं उठाया जा सका। 1956 में 84 ए.
- (2) धारा 84 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक आवेदन अकेले मकान मालिक द्वारा किया जाना चाहिए।

कोई भी इच्छुक व्यक्ति उसमें दिए गए उपचार का सहारा ले सकता है और जब ऐसा किया जाता है तो यह तय करना कलेक्टर का कर्तव्य है, कि क्या बेदखल किए जाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अवैध हस्तांतरण के अनुसरण में कब्जे में है या नहीं है।

प्रति रघुबर दयाल, जेः

यद्यपि कलेक्टर ने अनिवार्य रूप से कुछ कार्यवाहियों में अधिनियम की धारा 84 के तहत कि इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कि एक निश्चित बिक्री अमान्य है और इसके परिणामस्वरूप कब्जे में व्यक्ति, इसके आधार पर, अनिधकृत कब्जे में है, उसके पास औपचारिक रूप से बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। आम तौर पर, किसी विलेख की वैधता के बारे में औपचारिक घोषणा करना सिविल न्यायालय का काम होता है। हालाँकि, कलेक्टर का यह निर्णय लेने का आदेश कि बिक्री विलेख था अमान्य, उस समय तक अंतिम नहीं ह्आ था। 01 अगस्त, 1956 को अधिनियम में 84 ए पेश किया गया था और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 धारा 84 के प्रावधानों का लाभ उठा सकता है वह आवश्यक ज्मीने के भ्गतान पर अपने बिक्री विलेख को मान्य कर सकता था। इसलिए मामल्तदार कानून के अनुसार ने कलेक्टर और राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को दरिकनार करते हुए वैधता का प्रमाण पत्र और उच्च न्यायालय के आदेश को सही ढंग से जारी किया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 397/1962

निर्णय से विशेष अनुमित द्वारा अपील और बॉम्बे उच्च न्यायालय का 1 जुलाई, 1959 का आदेश, (अब गुजरात उच्च न्यायालय) 1959 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 302 में।

एस. एच. शेठ, मंगलदास शाह और एम. वी. गोस्वामी अपीलार्थी की ओर से।

प्रतिवादी संख्या के लिए जी. बी. पाई और ओ. सी. माथुर आर. एच. ढेबर प्रतिवादी संख्या 02 के लिए के. एल. हाथी

6 दिसंबरए 1963, के. सुब्बा राव और जे. आर. मुधोलकर का निर्णय, जे. जे. द्वारा दिया गया था, मुधोलकर, जे. रघुबर दयाल, जे. ने एक असहमतिपूर्ण राय दी।

जे. मुधोलकर- यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से विशेष अनुमित द्वारा एक अपील है जिसमें पहले प्रतिवादी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत एक रिट आवेदन को अनुमित दी गई है और बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को दरिकनार कर दिया गया है जिसने नीचे दिए गए मामले में प्रांत अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा था। बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 (एल एक्स वी आई आई 1948 का बॉम.) जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।

अपीलार्थी निश्चित रुप से गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले के तालुका देवराद के गांव डुचकवाडा के सर्वे नंबर 231 और 260 का मालिक था, सर्वे संख्या 231 को एक किरायेदार, वीरा पाना को पटटे पर दिया गया था, जबिक सर्वेक्षण सं. 260 को उसके द्वारा वर्ष 1950 में मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित किया गया था। संभवतः अन्य मवेशी गाँव में चराई की सुविधाओं की कमी के कारण वहाँ भी चराई की अनुमित दी गई थी।

अपीलार्थी एक जागीरदार है, और स्पष्ट रूप से उसके पास काफी संपित है। प्रत्यर्थी नं. 1 कुछ समय के लिए उसकी कारभारी (उसकी संपित का प्रबंधक) जब वे उस पद पर आसीन थे तब उन्होंने यह पद प्राप्त किया था। इन दोनों क्षेत्रों के संबंध में 31 अक्टूबर, 1950 को उससे एक बिक्री विलेख प्राप्त किया। अपीलार्थी के अनुसार उसे लेनदेन के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिला। चाहे जो भी हो, यह कोई भौतिक बात नहीं है। अपीलार्थी ने मामलातदार, देवदार को यह घोषणा के लिए को एक आवेदन दिया, कि बिक्री विलेख एस. एस. के उल्लंघन के रूप में अमान्य था। अधिनियम के 63 और 64 से ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग उसी समय दुचकवाड़ा के कुछ गाँवों ने एक आवेदन कलेक्टर, बनासकांठा के समक्ष किया अधिनियम की धारा 84 में प्रतिवादी संख्या 01 की संक्षिप्त बेदखली के लिये, इस आधार पर कि लेनदेन था। अधिनियम की धारा 63 और 64

के प्रावधानों के आधार पर शून्य कर दिया गया और चराई के उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण संख्या 260 के आरक्षण की भी मांग। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का आवेदन भी कलेक्टर के समक्ष गया था, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए आदेश में अपीलार्थी के तर्क पर भी विचार किया गया था। यह इस प्रकार चलाः

सभी परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि श्रीमती अच्चुबा द्वारा दो क्षेत्रों विदवालु और वाघडेलावलु के संबंध में की गई बिक्री को बॉम्बे टेनेंसी की धारा 64 (3) के तहत शून्य माना जाना चाहिये। श्रीमती आछूबा को सरकार द्वारा निर्धारित मानक को बनाए रखने के लिये दूधकवाडा के ग्रामीण मवेशियों की चराई के लिये इन दोनों को क्षेत्रों चारागाह क्षेत्रों के रूप में अलग करने के लिए राजी किया जाना चाहिये। यदि वह सहमत है तो भूमि पर वर्तमान कब्जे वाले व्यक्तियों को बेदखल कर दिया जाये और खेतों को गांव के मवेशियों की म्फत चरायी के लिये खुला रखा"।

पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन जिसे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किया गया बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए, जहां तक सर्वेक्षण संख्या 211 का संबंध है, मामले को दो

बिंद्ओं पर निर्णय लेने के लिए कलेक्टर के पास भेज दिया, जिसमें से एक यह था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 एक कृषक था और दूसरा कि क्या भूमि पर कोई किरायेदार था और यदि यह पाया जाता है कि कोई किरायेदार नहीं था तो क्या कलेक्टर को धारा 63 (1) के तहत बिक्री को श्न्य घोषित करना उचित था। जब मामला रिमांड के बाद राजस्व न्यायाधिकरण में वापिस गया तो प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इसका तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने सर्वेक्षण संख्या 260 की बिक्री को भी अमान्य घोषित कर दिया था। ट्रिब्यूनल में माना कि चूकि यह म्ददा कार्यवाही के पहले चरण में नही उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय के समझ भी, इसलिये इस म्ददे को उठाने की अन्मति नही दी जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 01 कृषक नही था। ट्रिब्यूनल द्वारा यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा सर्वे क्रमांक 260 की बिक्री को भी शून्य घोषित करना उचित था। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आदेश के विरुद्घ दूसरी रिट याचिका दायर की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यह अंततः उस कार्यवाही में आयोजित किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 वह एक पक्ष था कि उसके पक्ष में पूरा लेन.देन अमान्य था और वह न केवल सर्वेक्षण संख्या 231 पर बल्कि सर्वेक्षण संख्या 260 पर भी अनिधकृत कब्जे में था।

वर्ष 1956 में अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया था। यह संशोधन अगस्त, 1956 में लागू हुआ। अधिनियम के नए प्रावधानों में से एक धारी। 84 -ए, यह प्रावधान इस प्रकार हैः

"धारा 84 ए 1: 28 दिसंबर, 1948 के बाद (जब बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियमए 1948 लागू हुआ) और 15 जून, 1955 से पहले किए गए संशोधन अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पहले की धारा 63 या 64 के उल्लंघन में किसी भी भूमि के हस्तांतरण को केवल इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि ऐसा हस्तांतरण उक्त धाराओं के उल्लंघन में किया गया था यदि हस्तांतरणकर्ता राज्य सरकार को प्रतिफल के एक प्रतिशत या 100 रुपये जो भी कम हो:

बशर्ते कि यदि ऐसा हस्तांतरण मकान मालिक द्वारा वास्तविक कब्जे वाले किरायेदार के पक्ष में किया जाता है, तो उसके संबंध में देय जुर्माना एक रुपया होगाः

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई हस्तांतरण मकान मालिक द्वारा वास्तविक कब्जे वाले किरायेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, और ऐसा हस्तांतरण या तो ऐसे किरायेदार को गैरकानूनी तरीके से बेदखल करने के बाद किया जाता है, या इसके परिणामस्वरूप वास्तविक कब्जे वाले किरायेदार को बेदखल कर दिया जाता है, तो ऐसा हस्तांतरण वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा किरायेदार धारा 29 की उपधारा 01 के तहत भूमि के कब्जे के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हो जाता है।

- (2) इस तरह के जुर्माने के भुगतान पर, मामलातदार हस्तांतरणकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ऐसा हस्तांतरण अमान्य नहीं है।
- (3) जहाँ अंतरिती निर्धारित अविध के भीतर उपधारा 01 में निर्दिष्ट दंड का भुगतान करने में विफल रहता है तो मामलातदार द्वारा स्थानान्तरण को अमान्य घोषित किया जाएगा और उस पर धारा 84 सी का 05 उपधाराओं 3 के प्रावधान लागू होगे।"

इस प्रावधान का लाभ उठाने की मांग करते हुये प्रतिवादी संख्या1 अपने पक्ष में स्थानान्तरण के सत्यापन के लिये मामलतदार, देवदार के समक्ष् एक आवेदन किया। यह आवेदन मामलतदार द्वारा मंजूर कर लिया गया था। इसके कुछ ही समय बाद बनासकांठा के कलेक्टर ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और मामलातदार के आदेश को रदद कर दिया। आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन को राजस्व न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी नं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष

एक रिट याचिका दायर की जो इस प्रकार उसकी तीसरी रिट याचिका थी।

उस याचिका को अनुमित मिलने के बाद, अपीलकर्ता विशेष अनुमित

द्वारा, जैसा कि पहले ही कहा गया है, इस न्यायालय के समझ आया है।

उच्च न्यायालयए आवेदन को अनुमित देते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पिछला निर्णय इस प्रभाव से कि वह लेन.देन जिस पर प्रत्यर्थी नं 1 का भरोसा अमान्य है, जहां तक सर्वेक्षण संख्या 260 का संबंध है, उप.धाराओं के प्रावधानों को लागू करने के रास्ते में नही आता है। (1) एस. 84 ए. उच्च न्यायालय ने पाया कि एसएस 63 और 64 के उल्लंघन में स्थानानंतरण कानून के संचालन से अमान्य हो जाते है और उन्हें ऐसा घोषित नहीं किया जाना है और इसलिए, केवल यह तथ्य कि कलेक्टर हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर दिया है क्योंकि यह इन धाराओं में से किसी एक का उल्लंघन करता है, नये प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। अनुपयुक्त

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 84 के प्रावधानों की अनदेखी की है। और यह भी तथ्य कि यह इस प्रावधान के तहत अपीलार्थी के साथ.साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस आधार पर निवारण मांगा था कि बिक्री विलेख जिसके आधार पर प्रत्यर्थी ने खेतों पर कब्जा करने का दावा किया था, एस.एस. 63 और 64 के प्रावधानों का उल्लंघन था। हम अब सर्वेक्षण सं. 231 से चिंतित नही हैं, बल्कि सर्वेक्षण संख्या 260 से चिंतित है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस.एस. 63 और 64 ब कुछ लेन.देनों को अमान्य कर देता है। लेकिन जहाँ लाभ की तलाश की जाती है किसी लेन.देन की अयोग्यता के बारे में जानने के यह आधार है कि यह एसएस 63 और 64 का उल्लंघन करता है। और राहत जैसे कि एस के तहत पुरस्कार योग्य। अधिनियम की धारा 84 की मांग की गई है, कलेक्टर के लिए विवाद पर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है और तय करें कि क्या लेनदेन है या नहीं या इनमें से किसी भी प्रावधान द्वारा अमान्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि कलेक्टर आगे बढ़े लेन.देन की वैधता पर निर्णय लेना।

हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि कलेक्टर के समक्ष् जो कुछ भी था, वह दुचकवाड़ा के कुछ निवासीयों द्वारा आवेदन किया गया एक आवेदन था, जिन्हें सर्वेक्षण संख्या 260 पर उनके चराई के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यह सही नहीं है क्योंकि उत्तरदाता नं. 1 की स्वीकृति है। स्वयं अपनी रिट याचिका में ग्रामीणों ने बिक्री विलेख को रद्द करने की दिनांक 17 फरवरी, 1959 उच्च न्यायालय के समक्ष् मांग की थी जिसमें खेत शामिल थे और अपीलार्थी ने भी विक्रय पत्र को रदद करने के लिये एक आवेदन दिया था। यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी ने धारा के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं दिया था। धारा 84 या कि उसका आवेदन कलेक्टर के समक्ष ठीक से नहीं था, हम धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए इंगित कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 84 का यह सार नहीं है कि आवेदन केवल मकान मालिक द्वारा ही किया जाना चाहिए। उस प्रावधान की भाषा पर कोई भी इच्छुक व्यक्ति प्रदान किए गए उपचार का सहारा ले सकता है और जब इसके प्रावधानों का सहारा लिया जाता है तो सीएल के तहत फैसला करना कलेक्टर का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है। (ए) इसके बारे में कि क्या व्यक्ति को बेदखल किया जाना है वह अवैध हस्तांतरण के अनुसरण में कब्जे में है या नहीं है।

इसके बाद प्रतिवादी की ओर से इसका प्रतिवाद किया गया कि जहाँ तक सर्वेक्षण सं. 260 का संबंध है, कलेक्टर ने बेदखली का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और, इसलिए, कलेक्टर द्वारा की गई सर्वेक्षण संख्या 260 की बिक्री की अयोग्यता के रूप में घोषणा धारा 84 ए की प्रयोज्यता पर कोई रोक नहीं है। यह विवाद भी बिना किसी बल के है, हम पहले से ही कलेक्टर के आदेश के हिस्से को उद्धृत कर चुके है, जहाँ तक वह प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना से संबंधित है।

सर्वेक्षण सं. 260 से साफ हो जाएगा कि कलेक्टर ने इस क्षेत्र के संबंध में एक सशर्त राहत प्रदान की थी। इस तरह की राहत देने के लिए

कलेक्टर के लिये स्थानान्तरण की वैधता या अन्यथा निर्णय लेना आवश्यक था। कलेक्टर के आदेश की राजस्व न्यायाधिकरण और रिट याचिका द्वारा प्ष्टि की गई जिसमें प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, कलेक्टर के आदेश की वैधता सहित संपूर्ण प्रश्न पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक माना जाना चाहिये। यह मानते हुए भी कि यह सब होने के बावजूद, यह हमारे लिए खुला है इस बात पर विचार करें कि क्या कलेक्टर का आदेश घोषित करता है बिक्री लेनदेन को अमान्य होना उनके न्यायशास्त्र के अंतर्गत था। चाहे वह हो या न हो, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि न ही एस 63 या एस 64 कलेक्टर द्वारा औपचारिक घोषणा करने की बात करता है कि लेनदेन अमान्य है क्योंकि दोनों में से किसी एक का उल्लंघन है। 63 या एस 64 को हस्तांतरणकर्ता द्वारा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्छ प्राधिकारियों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या वास्तव में स्थानांतरण इनमें से किसी भी एक प्रावधान का उल्लंघन है या नही। इस तरह का संकल्प प्राप्त करने का वहाँ सवाल उठेगा जहाँ हस्तांतरणकर्ता ने अपना अधिकार खो दिया हो। अवैध हस्तांतरण के परिणामस्वरूप हस्तांतरणकर्ता को जिस कब्जे से वंचित कर दिया गया था, उसे प्राप्त करने के लिये अधिनियम उसे धारा 84 के प्रावधानों के तहत सक्षम करता है। उस प्रावधान के तहत कलेक्टर को यह पता लगाना होगा, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि क्या स्थानांतरण वास्तव में धारा 63 या

धारा 64 का उल्लंघन है। इस संबंध में उनका निष्कर्ष इस घोषणा का संकेत है कि स्थानांतरण अमान्य है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से एक किसी भी राजस्व प्राधिकरण द्वारा इस प्रभाव की औपचारिक घोषणा कि धारा के उल्लंघन में स्थानान्तरण हो या एस 64 अमान्य है। जब विधायिका धारा 84 ए में प्रावधान किया कि दोनों धाराओं में से किसी एक के उल्लंघन में स्थानांतरण, का मतलब केवल इतना था कि हस्तांतरण को अमान्य नहीं माना जाएगा, यहां तक कि जब यह धारा 63 या धारा 64 के उल्लंघन में पाया जाता है। इस मामले में कलेक्टर ने ठीक यही किया। जब तक हम इन शब्दों को यह अर्थ नहीं देते, वे तब तक अर्थहीन होंगे।

हमारा आगे यह विचार है कि धारा 84 ए के प्रावधान उनके आवेदन में संभावित हैं। धारा 84 ए के प्रावधानों का स्पष्ट अवलोकन यह दिखाएगा कि वह धारा जो करती है वह यह घोषणा करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है कि कोई हस्तांतरण इस आधार पर अमान्य है कि यह धारा 63 और धारा 64 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था। इस प्रकार इसका संचालन इस अर्थ में संभावित है कि यह किसी भी घोषणा या निष्कर्ष को बनाने से रोकता है कि इसके लागू होने के बाद स्थानांतरण अमान्य है। यह किसी भी आनुषंगिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता है जिसमें एक हस्तांतरण को पहले से ही अमान्य माना गया था। इस प्रकार इसका संभवतः वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं हो सकता है जिसमें कलेक्टर द्वारा एक घोषणा या अयोग्यता के रूप में एक निष्कर्ष पहले ही किया जा चुका था और उसके बाद बेदखली का आदेश दिया गया, भले ही वह सशर्त हो। इसके अलावा, मामलातदार के पास प्रतिवादी को प्रश्नगत प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह स्थिति होने के कारण हमें यह मानना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखते हुये राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को दरिकनार करना गलती की थी। इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश को रदद करते हैं और राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को रदद करते हैं और राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल करते हैं। पूरा खर्च प्रत्यर्थी द्वारा नं. 1 वहन किया जाएगा।

रघुबर दयाल जे. - मेरी राय है कि अपील खारिज कर दी जाए

अपीलकर्ता, ग्राम डुचकवाडा के जागीरदार ने प्रतिवादी क्रमांक 01 को दो खेत सर्वे क्रमांक 231 और 260 को बेच दिया। कालिनाथ ओझा ने इसके बाद 28 अक्टूबर 1950 को प्रतिवादी को बुलाया, 24 नवम्बर 1952 को कलेक्टर, जिला बनासकांथा द्वारा आदेश पारित किया। उन्हें और उप-कलेक्टर, थराड को, कि धारा 63 और धारा 64 बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत दोनों भूखंडों का बिक्री विलेख अमान्य था, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है। उसने अपीलार्थी को प्लॉट संख्या 231 से बेदखल करने का आदेश दिया।

उन्होंने पाया कि आवेदकों में से एक एक हरिजन वीरा पाना उस भूखंड का किरायेदार था। हमें प्लॉट नं९ 231 के संबंध में इस आदेश से कोई सरोकार नहीं है।

प्लॉट नं. 260 के सम्बन्ध में, कलेक्टर ने मवेशियों के लिए चराई भूमि की कमी को देखते हुए आदेश दिया:

"श्रीमती आछुबा को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिये उचकवाड़ा गाँव के मवेशियों को चराने के लिये इन दोनों क्षेत्रों अलग-अलग करने के लिये राजी किया जाना चाहिए। यदि वह सहमत है, तो वर्तमान में कब्जे वाले व्यक्ति की भूमि के कब्जे को बेदखल किया जाना चाहिए और गाँव के मवेशियों को मुफ्त चराई के लिए खेतों को खुला रखा जाना चाहिये।"

उपरोक्त उद्धृत क्रम में, कलेक्टर द्वारा दोनों क्षेत्रों का उल्लेख करने में गलती की थी, क्योंकि उनके समक्ष विवादित क्षेत्रों में से एक विवाद क्षेत्र सं. 231 था और जिसके बारे में पहले अपने आदेश मे प्रान्त अधिकारी को उस क्षेत्र के हरिजन वीरा पाना को बहाल करने के लिए निर्देश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी की अपील को बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण ने 27 अक्टूबर 1955 को खारिज कर दिया था। राजस्व न्यायाधिकरण ने कलेक्टर के आदेश अधिनियम की धारा 84 के तहत आदेश दिया, इसके बाद प्रत्यर्थी ने विशेष सिविल आवेदन के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय से संपर्क किया। उच्च न्यायालय ने 02 जुलाई, 1956 को प्लॉट संख्या 260 के सम्बन्ध में आवेदन को अनुमित दी। राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को दरिकनार कर दिया और पुनः उस भूखंड के बारे में विवाद को तय करने के लिए निर्देश दिया। न्यायाधिकरण द्वारा 3 जून, 1957 को प्रतिवादी की अपील को फिर से खारिज कर दिया। प्रतिवादी पुनः नये सिरे से विशेष सिविल आवेदन संख्या 2220 द्वारा उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर, 1957 को याचिका खारिज कर दी।

इस बीच, 1 अगस्त, 1956 को बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि (संशोधन) अधिनियम, (1956 का तेरहवॉ अधिनियम) लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा धारा 84 ए को मूल अधिनियम में जोड़ा गया था। यह खंड इस प्रकार है:

(1) धारा 63 या 64 का उल्लंघन करते हुए किसी भी भूमि का हस्तांतरण, जैसा कि आयोग के समक्ष था, 28 दिसंबर, 1948 के बाद (जब बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948) के बाद लागू किया गया था, लागू हुआ) और 15 जून, 1955 के 15 वें दिन से पहले केवल इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि ऐसा हस्तांतरण उक्त धाराओं के उल्लंघन में किया गया था यदि हस्तांतरणकर्ता राज्य

सरकार को एक प्रतिशत या रु 100 के बराबर, जो भी कम हो, जुर्माना देता है।

बशर्ते किए यदि ऐसा हस्तांतरण मकान मालिक द्वारा वास्तविक स्वामित्व में किरायेदार के पक्ष में किया जाता है, तो उसके संबंध में देय जुर्माना एक रुपया होगा:

बशर्ते कि यदि मकान मालिक द्वारा ऐसा कोई हस्तांतरण वास्तविक कब्जे वाले किरायेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, और ऐसा हस्तातंरण या तो ऐसे किरायेदार की गैरकान्नी बेदखली के बाद किया जाता है, या इसके परिणामस्वरुप वास्तविक कब्जे वाले किरायेदार की बेदखली होती है, तो ऐसे हस्तान्तरण को तब तक वैध नहीं माना जायेगा जब तक कि ऐसा किरायेदार भूमि से बेदखली की तारीख से दो साल के भीतर

- (1) धारा 29 की उप-धारा 01 के तहत भूमि के कब्जे के लिये आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है।
- (2) इस तरह के जुर्माने के भुगतान पर, मामलातदार, हस्तांतरणकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ऐसा हस्तांतरण अमान्य नहीं है।

(3) जहां अंतरिती ऐसी अवधि के भीतर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है! जैसा कि निर्धारित किया जाए, मामलातदार द्वारा स्थानांनतरण को अमान्य घोषित किया जाएगा और उस पर धारा 84 सी की उप-धारा 3 से 05 के प्रावधान लागू होंगे।"

प्रत्यर्थी ने इस धारा के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए रुपये जमा किए। 9 दिसंबर, 1957 को 35 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसी दिन उन्हें मामलातदार किरायेदार अवल कार्कुन का आदेश मिला, जिसमें उन्हें प्लॉट नं. 260, 1950 के विक्रय विलेख के अधीन बिक्री को मान्यता दी गई थी।

डिप्टी कलेक्टर ने मामलातदार के आदेश को दरिकनार कर दिया। प्लॉट नं. 260 की बिक्री 84 ए लागू नहीं होता। क्योंकि उस बिक्री को कलेक्टर द्वारा धारा 84 ए, के लागू होने से पहले अमान्य घोषित किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी ने इस आदेश के खिलाफ बंबई राजस्व न्यायाधिकरण में पुनरीक्षण किया और असफल रहे। इसके बाद उन्होंने आवेदन संख्या 302 विशेष दीवानी याचिका दायर की और न्यायाधिकरण के आदेश को दरिकनार करने और रद्द करने के लिए प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि धारा 84 ए ने भूखंड सं. 260 की बिक्री के लिए आवेदन किया, अपीलार्थी को, कि बिक्री कानून के संचालन से अमान्य थी और

कलेक्टर से उस प्रभाव की कोई घोषणा की आवश्यकता नहीं थी और धारा 84 ए में कुछ भी नहीं था जो संचालन से बाहर रखने को उचित ठहराएगा कानून के उस प्रावधान के लागू होने से पहले अमान्य घोषित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 09-12-1957 के आदेश को बहाल किया, जिसके द्वारा उन्होंने प्रत्यर्थी को एक प्रमाण पत्र जारी किया था कि प्लॉट सं. 260 का हस्तांतरण अमान्य नहीं था। यह इस आदेश के खिलाफ है कि बाई अच्चुबा ने इस न्यायालय से विशेष अनुमित प्राप्त करने के बाद इस अपील को प्राथमिकता दी है।

अपीलार्थी 24-11-1992 के कलेक्टर के आदेश के बाद की सभी कार्यवाहियों में पक्षकार था। वह पूछताछ के दौरान कलेक्टर के समक्ष पेश हुयी थी। अपील की सुनवाई में कहा गया कि उन्होंने कलेक्टर को भी आवेदन दिया है। इस पर प्रतिवादी ने विवाद किया। प्रत्यर्थी के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीणों के आवेदन पर पिछले आदेशों जारी किये गये हैं, यह जैसा कि न्यायिक है, और इस न्यायालय ने 19 मार्च, 1963 को अपीलार्थी को उस आदेश में उल्लिखित विभिन्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने का आदेश दिया। वे दस्तावेज़ प्रस्तावों में कलेक्टर को किया गया कथित आवेदन और अपीलार्थी द्वारा एक हलफनामा शामिल था जिसमें दिखाया गया था कि वह कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष थी। अपीलार्थी ने विभिन्न न्यायालयों के कुछ आदेशों

की प्रतियां और 1957 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 2220 की एक प्रित दाखिल की। उसने उस आवेदन की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कलेक्टर को एक साथ प्रस्तुत किया गया था। अन्य गाँव वालों के साथ, नगरलाल दलपतराम व्यास ने खुद को अपीलार्थी का करभरी बताते हुए अपने हलफनामे में कहा है

"मैं व्यक्तिगत रूप से राधनपुर के देवड़ा प्रांत अधिकारी के मामलातदार के पास गया।

बनासकांठा, बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल और गुजरात उच्च न्यायालय, आवेदक द्वारा यहां बनासकांठा के कलेक्टर को किए गए आवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप उनका उक्त आदेश 24 नवंबर 1952 को आया, लेकिन मुझे बताया गया है कि रिकॉर्ड न्यायालयों या प्राधिकरणों में से किसी के पास नहीं है। मुझे बनासकांठा के कलेक्टर ने बताया कि मामले का रिकॉर्ड बॉम्बे उच्च न्यायालय में गया था। जाँच में यह पाया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के पास यह नहीं है, हालांकि सामान्य तौर पर उसे इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्राप्त करना चाहिए था। प्रत्यर्थी ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी ने कोई याचिका दायर नहीं की थी। अधिनियम की धारा 84 के तहत कलेक्टर के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया था। अधिनियम की धारा 84 के तहत कलेक्टर के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया

इस सामग्री पर, मैं संतुष्ट नहीं हूं कि अपीलार्थी ने सरकार या कलेक्टर को एक साथ आवेदन किया था, अन्य ग्रामीण जिनके आवेदनों पर कलेक्टर ने एक जांच की और 24 नवंबर 1952 का आदेश पारित किया। कलेक्टर के आदेश में अपीलार्थी द्वारा किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है, और कहा गया है कि गाँव दुचकवाड़ा के कुछ व्यक्ति, जिनमें किसान और दुचकवाड़ा गांव के कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना करते हुए आवेदन किया था कि बिक्री विलेख को अमान्य घोषित किया जाए और गाँव के अभिलेखों को तदनुसार सही किया जाए। अदालत के किसी भी अन्य आदेश में बाई आछूबा द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, भले ही उनमें से कुछ निश्चित रूप से मामलातदार को दिए गए उनके आवेदन के बारे में बताते हैं। राजस्व न्यायाधिकरण का आदेश दिनांक 3 जून, 1957 में कहा गया है:

"मूल कार्यवाही दुचकवाड़ा के कुछ ग्रामीणो द्वारा बनसकंठा के कलेक्टर को किया गया एक आवेदन पर शुरू हुई थी।"

उच्च न्यायालय ने 1957 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 2220 पर अपने आदेश में मामलातदार को बाई अछुबा के आवेदन का उल्लेख किया और फिर कहाः

"ऐसा प्रतीत होता है कि इस आवेदन से कुछ समय पहले वहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन किया गया था और आवेदन द्वारा ग्रामीणों ने दावा किया कि बिक्री विलेख अमान्य घोषित होना चाहिए और गाँव के अभिलेखों को तदनुसार ठीक किया जाए।"

मेरे विचार से निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं; (1) क्या बिक्री विलेख को अलग रखने और अभिलेख के सुधार के लिए ग्रामीणों के आवेदन पर कोई कार्यवाही शुरू हुई या नहीं, इसे धारा 84 के तहत कार्यवाही कहा जा सकता है। (2) क्या कलेक्टर, ऐसी कार्यवाहियों में, बिक्री विलेख की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने या निर्णय लेने से अलग घोषणा कर सकता है या क्या वह केवल बिक्री विलेख की अयोग्यता के बारे में निर्णय ले सकता है ताकि यह राय बनाई जा सके कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अनिधकृत रूप से या गलत तरीके से की गई थी और इसलिए उसे बेदखल किया जाना चाहिए या नहीं। (3) चाहे कलेक्टर का आदेश हो, चाहे वह घोषणा का हो या प्लॉट संख्या 3 की बिक्री के संबंध में बिक्री विलेख की अयोग्यता के बारे में केवल निर्णय का हो, 1 अगस्त, 1956 को अधिनियम की धारा 84 ए की धारा 260, के प्रावधानों के लागू होने से पहले अंतिम हो गया था। (3) यदि ऐसा आदेश अंतिम हो गया था, तो क्या वह धारा 48 ए के संचालन को प्रभावित करता है।

प्रथम बिन्दु पर यह माना जा सकता है कि 1952 में कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही अधिनियम की धारा 84 के तहत जैसा कि राजस्व न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष विभिन्न कार्यवाहियों में माना था।

दूसरे बिंदु पर, मेरी राय है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कलेक्टर को अधिनियम 63 और अधिनियम की धारा 64 के अनुकूल दृष्टिकोण का उल्लंघन करने के लिए बिक्री विलेख को अमान्य या शून्य घोषित करना अधिकार देता हो। उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 1956 के अपने आदेश में विशेष नागरिक आवेदन संख्या 2817/1955 में प्लॉट संख्या 211 के बारे में मामले पर विचार करते हुए कहाः

"पुनः, हमारे विचार में, एक ऐसे व्यक्ति को, जो उसके विचार में, अनिधकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर रहा है या गलत तरीके से भूमि पर कब्जा कर रहा है, हटाने का आदेश देते हुए एक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अंततः स्वामित्व के किसी भी प्रश्न का निर्णय नहीं करता है और हम न्यायाधिकरण के इस विचार से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता कालिदास ओझा के लिए दीवानी न्यायालय में अपना खिताब स्थापित करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार है।"

पुनः, 1957 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 2220 में 18 दिसंबर, 1957 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहाः

"श्री बारोट का तर्क है कि एक किरायेदारी न्यायालय यह घोषणा नहीं कर सकता है कि धारा 63 या धारा 64 के उल्लंघन में बिक्री अमान्य है। श्री बारोट सही प्रतीत होंगे। एक किरायेदारी न्यायालय घोषणा देने के लिए सक्षम नहीं है। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी घोषणा करने की शक्ति सिविल न्यायालय की है। लेकिन मैं श्री बारोट के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि एक किरायेदारी न्यायालय इस सवाल का फैसला नहीं कर सकता है कि क्या धारा 63 या अधिनियम की धारा 64 का उल्लंघन है और यह ठीक यही सवाल है जिसे कलेक्टर के साथ-साथ बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण ने फैसला किया है।"

अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि कलेक्टर के पास आवश्यक रूप से धारा 84 के तहत कुछ कार्यवाहियों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टए इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कि कुछ बिक्री विलेख वैध है और इसके परिणामस्वरूप इसके आधार पर, अनिधकृत व्यक्ति के कब्जे में है, उसके पास औपचारिक रूप से बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। आम तौर पर किसी विलेख की वैधता के बारे में एक औपचारिक घोषणा करना यह दीवानी अदालत को करना होता है। यह तभी होता है जब कोई अन्य अधिनियम विशेष रूप से निश्चित विलेख को

अमान्य घोषित करने के लिए एक निश्चित अधिकारी या न्यायालय को सशक्त बनाता है, तभी उस न्यायालय या अधिकारी के पास ऐसी घोषणा करने की शक्ति होगी। यह इस प्रकार है कि कलेक्टर अधिनियम की धारा 84 के तहत कार्यवाही में ऐसा नहीं कर सके। सभी बिक्री विलेख के अमान्य होने की घोषणा करें। 18 नवंबर 1995 के अपने आदेश से उन्होंने जो कुछ भी तय किया, वह कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते ह्ए प्रत्यर्थी सं.1 के पक्ष में बिक्री विलेख में वैध था। अपीलार्थी को यह एहसास होना चाहिए कि कलेक्टर का निर्णय ब्रिकी विलेख काे अमान्य घोषित करने के बराबर नहीं हो सकता है और इसलिए उन्होंने 1953 में एक घोषणा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया कि बिक्री विलेख अमान्य था और इसके लिए बिक्री विलेख में सम्मिलित संपत्तियों पर अधिकार की वसूली। इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता 8 O.XVII, r.2 के साथ पढ़ें।

बिक्री विलेख को अमान्य बताने वाला कलेक्टर का आदेश उस समय तक अंतिम भी नहीं हआ था। धारा 84 ए को 1 अगस्त, 1956 को अधिनियम में पेश किया गया था। 2 जुलाई, 1956 को उच्च न्यायालय ने कानून के अनुसार निर्णय के लिए राजस्व न्यायाधिकरण को मामला भेज दिया। न्यायाधिकरण ने 3 जून 1957 में अपना आदेश पारित किया।

इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले से उल्लेख विचार के अलावा कलेक्टर के पास अधिनियम धारा 84 के तहत किसी मामले से निपटने के दौरान बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह आदेश 1 अगस्त, 1956 तक अंतिम नहीं हुआ था और इससे पहले कि प्रतिवादी धारा 84 के प्रावधानों का लाभ उठा सकता था। वह अपने बिक्री विलेख को, जिसे 28 दिसंबर, 1948 और 15 जून, 1955 के बीच निष्पादित किया गया था, उप-धाराओं के तहत पुनर्वित दंड के भुगतान पर मान्य कर सकता था। (1) धारा 84 ए, यह खंड मामलातदार को वैधता का प्रमाण पत्र और उप-धारा 03 द्वारा जारी करने का अधिकार देता है कि

यदि हस्तांतरणकर्ता जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहता है तो लाटदार हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर देगा। धारा 84 ए के समर्थक दृष्टिकोण ने किसी हस्तांतरण विलेख की वैधता या अयोग्यता के मामले को मामलातदार के अधिकार क्षेत्र के भीतर लाया। इस क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करते हुये मामलातदार 7 अक्टूबर 1957 ने प्रत्यर्थी को रुपये का जुर्माने का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया। विक्रय पत्र के प्रतिफल पर 5 प्रतिशत की दर से 100 गणना की गई। 9 दिसंबर, 1957 को मामलातदार ने प्रतिवादी द्वारा 35 रुपये का भुगतान करने पर बिक्रय

विलेख को मान्य करते हुये आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया कि मैं प्रमाण पत्र को कानूनी रूप से अच्छा मानता हूं।

इसमें राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मामलातदार स्थानांतरण को प्रमाणित कर सकता है यदि इसे पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया गया था।

इसलिए मेरी राय है कि अपील के तहत उच्च न्यायालय सही है और यह अपील खारिज की जाए।

आदेश

बहुमत के फैसले को देखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश को दरिकनार कर दिया जाता है और राजस्व न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। पूरा खर्च प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री रामा विलास सर्विस (पी) लिमिटेड.

बनाम

सी. चंद्रशेखरन एवं अन्य.

(पी. बी. गजेन्द्रगढ़कर और के. सी. दास गुप्ता, जे. जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) 47 (1)(ए) और भारत का संविधान, कला. 226. -अनुमित देने में विचार-सार्वजिनक हित का अर्थ-यदि प्रमाण पत्र की याचिका तथ्य के प्रश्नों पर जारी की जा सकती है

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपीलार्थी को एक स्टेज गाड़ी की अनुमति दी अनुमति दें। अपील पर, राज्य परिवहन अपील यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संदीप शर्मा (आर॰जे॰एस॰) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।